

सैकड़ों बीघा वनभूमि पर दौड़े ट्रैक्टर, जंगल बने खेत

खास बातें

► शमशाबाद वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण के आरोप

► वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल



वन विभाग का पक्ष

वन परिक्षेत्र अधिकारी संगीता अमलताश ने कहा, हमारे डिप्टी रेंजर और नाकेदार निरंतर वन परिक्षेत्र में सक्रिय हैं. यदि किसी ने वनभूमि पर कब्जा किया है तो तत्काल बेदखली की कार्रवाई की जाएगी.अब यह देखना होगा

से प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही.

ग्रामीणों के अनुसार किशनपुर के खोए के जंगल के बीच ट्रैक्टरों से हाकाई-जुताई कर फसल बोई

कि वन विभाग इस मामले में जांच कर कथित अतिक्रमण के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है. स्थानीय नागरिकों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वनभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गई है. धीरे-धीरे वनभूमि पर खेती का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे जंगलों के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते



वनभूमि पर ट्रांसफार्मर, कुएं और ट्यूबवेल तक स्थापित

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई स्थानों पर वनभूमि पर ट्रांसफार्मर रखकर कुएं और ट्यूबवेल स्थापित कर दिए गए हैं तथा सिंचित खेती की जा रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों-कर्मचारियों की कथित मिलीभगत के कारण कुछ बीटों में वर्षों से एक ही नाकेदार पदस्थ हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर समीकरण बन जाते हैं और अतिक्रमण पर प्रभावी रोक नहीं लग पाती.हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में बड़ी मात्रा में वनभूमि कृषि भूमि में तब्दील हो सकती है.वनभूमि की सुरक्षा के लिए हर वर्ष सीसीटी कट्टर ट्रेंच खुदाई,

हर वर्ष हटता है कब्जा, फिर लौट आती है खेती

ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग हर साल जेसीबी और ट्रैक्टर से गड्डे कराकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है, जिस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं. इसके बावजूद कुछ समय बाद उन्हीं स्थानों पर दोबारा खेती शुरू हो जाती है. इससे कार्रवाई की प्रभावशीलता और विभागीय निगरानी पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं.

प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बरसात के दौरान वनभूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए गठित विशेष टीम केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित रही. सड़कों के किनारे भ्रमण तो हुआ, लेकिन वनभूमि पर हो रहे बड़े पैमाने के अतिक्रमण के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त

नवभारत न्यूज विदिशा. सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के वर्ष 2026 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. समिति के अध्यक्ष नितिन माहेश्वरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट संतोष शर्मा को समिति का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है.समिति की साधारण सभा की बैठक 26 जुलाई 2026, रविवार को दोपहर 12 बजे तारा देवी हॉल, अग्रवाल धर्मशाला, माधवगंज में आयोजित की जाएगी. बैठक में समिति के सभी अजीवन सदस्यों को सादर आमंत्रित किया गया है.

केंद्रीय विद्यालय की बिजली शहर फीडर से जोड़ने और रिक्त पद भरने की मांग

पालकों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज गंज बासौदा. केंद्रीय विद्यालय की विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं लंबे समय से रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने की मांग को लेकर पालकों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में विद्यालय की शैक्षणिक

व्यवस्था को प्रभावित कर रही प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया.

पालकों ने बताया कि विधायक हरि सिंह रघुवंशी के प्रयासों तथा तत्कालीन सांसद स्वर्गीय सुष्मा स्वराज से सहयोग से गंज बासौदा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी. इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल रहा है. विद्यालय का भवन नगर से लगभग तीन किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के

कारण उसे ग्रामीण फीडर से विद्युत आपूर्ति मिलती है.उन्होंने बताया कि ग्रामीण फीडर से पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, प्रयोगशालाओं सहित विद्युत आधारित शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. गर्मी के मौसम में बिजली की कमी के कारण कक्षाओं में बैठना भी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कठिन हो जाता है.ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि विद्यालय में कई शिक्षकों के पद लंबे समय से

रिक्त पड़े हैं. पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की नियमित और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई प्रभावित हो रही है.पालकों ने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि केंद्रीय विद्यालय की विद्युत आपूर्ति को शहर फीडर से जोड़ा जाए, ताकि निर्बाध बिजली उपलब्ध हो सके. साथ ही विद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पदों पर शीघ्र नियुक्तियां कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए.

सीएम ने सिंगल क्लिक से जिले की 2.71 लाख लाइली बहनों के खातों में अंतरित किए 40 करोड़ रुपये



नवभारत न्यूज विदिशा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मुख्यांमंत्री लाइली बहना योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से जुलाई 2026 की आर्थिक सहायता राशि प्रदेश की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की. इस दौरान विदिशा जिले की 2 लाख 71 हजार 446 लाइली बहनों के खातों में लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई. कलेक्टर अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा के निर्देशन में जिले के सभी

आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकायों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराया गया. बड़ी संख्या में लाइली बहनों ने कार्यक्रम में मुख्यांमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी. कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने योजना के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार का आभार जताया.

पठारी-खुरई मार्ग परिवर्तन को लेकर पुलिस ने लगाए बैरिकेड

नवभारत न्यूज पठारी. हनोता डैम परियोजना में जलभराव के कारण पठारी-खुरई मार्ग के दलपतपुर घाट क्षेत्र को बंद किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह के निर्देशन में परिवर्तित मार्ग पर बैरिकेड लगाकर वाहन चालकों और नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग की जानकारी दी जा रही है. थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह ने बताया कि लगातार बारिश के चलते हनोता डैम का जलस्तर बढ़ने से दलपतपुर घाट मार्ग पर आवागमन असुरक्षित हो गया है. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग को अस्थायी रूप से बंद किया गया है. उन्होंने बताया कि अब खुरई जाने वाले वाहन चालकों को बिसलोनी चौराहा, सैदपुर, खुरुरिया, गोडखेड़ी और दानखेड़ी होते हुए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करना होगा. पुलिस द्वारा प्रमुख स्थानों पर बैरिकेड लगाकर वाहन चालकों को मार्ग परिवर्तन की जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना की स्थिति न बने.

योजना के प्रारंभ से ही मिल रहा लाभ

नवभारत न्यूज विदिशा. विदिशा शहर के टीलाखेड़ी क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय शिवानी शिल्पकार मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना का शुरुआत से लाभ ले रही हैं. आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत शिवानी ने बताया कि योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1250 रुपये की राशि से घर की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करके, बेटे की पढ़ाई और दैनिक खर्चों में काफी मदद मिल रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को आर्थिक संवल देने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाया है. शिवानी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया.

मौन सूचना

विकास पचौरी जी मौन साधना कर रहे हैं. इसलिए निःशुल्क शव वाहन हेतु कृपा फोन न करें बल्कि शेरपुर विदिशा स्थित विकास पचौरी रेडियो स्टेशन आकर जानकारी देने की कृपा करें.

क्लब की जरूरत होने पर www.vikaspachori.in वेबसाइट पर स्कटाटाओं की लिस्ट देखने का कष्ट करें.

मोबाइल के प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए **VIKAS PACHORI RADIO**

विकास पचौरी रेडियो
84 35 250 250

➤ और फिर 24 घंटे ➤
..... आनंद लीजिए

कब्जा

मंदिर जीर्णोद्धार के दौरान लिए गए अवास के बदले आज तक नहीं मिला भूमि का कब्जा

14 वर्षों से न्याय की तलाश में पुजारी परिवार, केंद्रीय मंत्री चौहान को सौंपा आवेदन

नवभारत न्यूज गंजबासौदा. ग्राम मनोरा स्थित प्राचीन श्री जगदीश स्वामी मंदिर से जुड़े 14 वर्ष पुराने भूमि विवाद में पुजारी परिवार ने न्याय की मांग तेज कर दी है. मंदिर के पुजारी परिवार के सदस्य चित्तामन दास, विनोद कुमार और अशोक कुमार बैरागी (वैष्णव) ने गंजबासौदा में आयोजित जन सम्मेलन शिविर के दौरान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आवेदन सौंपकर



मामले में हस्तक्षेप करने और न्याय दिलाने की मांग की. आवेदन में परिवार ने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के समय

उनके आवासीय परिसर को इस आक्षासन के साथ हटाया गया था कि बदले में मंदिर परिसर के समीप वैकल्पिक भूमि उपलब्ध

मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई गई.परिवार के अनुसार, मंदिर ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों ने बताया था कि मंदिर जीर्णोद्धार के दौरान तत्कालीन तहसीलदार की उपस्थिति में भूमि संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की गई थी. इसके बावजूद संबंधित अभिलेख आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं.परिवार ने यह भी बताया कि 5 जुलाई 2026 को तहसीलदार ग्यारसपुर तथा गंजबासौदा-ग्यारसपुर विधायक के हस्तक्षेप के बाद मंदिर परिसर

में ट्रस्ट की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन अधिकांश पदाधिकारी उसमें उपस्थित नहीं हुए. उनका दावा है कि कुछ पदाधिकारियों को बैठक की सूचना तक नहीं दी गई, जिससे विवाद के समाधान की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी.इससे पूर्व पीडित परिवार जिला कलेक्टर को भी विस्तृत आवेदन देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, भूमि का सीमांकन, वैधानिक कब्जा दिलाने तथा संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग कर चुका है.